

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 मई 2018—वैशाख 14 शक 1940

## भाग ४

### विषय-सूची

- |     |                        |                               |                                  |
|-----|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) | (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) | (1) अध्यादेश,          | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,       | (3) संसद के अधिनियम.             |
| (ग) | (1) प्रारूप नियम,      | (2) अन्तिम नियम.              |                                  |

### भाग ४ (क)—कुछ नहीं

### भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

### भाग ४ (ग)

### अंतिम नियम

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 अप्रैल 2018

क्र. एफ 3-7-2018-छ:—विभागीय आदेश क्रमांक एफ-7-2-2012-छ:; मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 26 जून 2012 को प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-7-2-2012-छ:; दिनांक 25 जून 2012 मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना नियम, 2012 में एतद्वारा निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना नियम, 2012 के परिशिष्ट (एक) में वर्णित तीर्थ स्थानों की सूची में निम्नानुसार तीर्थ स्थान का नाम जोड़ा जाता है :—

23. पंढरपुर, (महाराष्ट्र)

शेष शर्तें पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ-7-2-2012-छ:; दिनांक 26 जून 2012 के अनुसार रहेंगी. यह संशोधन राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से लागू माना जायेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आशीष भार्गव, उपसचिव.

## प्रारूप नियम

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल 2018

क. डी-15-27/18/14-3, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (कमांक 24 सन् 1973) की धारा 79 की उपधारा (2) के खण्ड (इक्कीस) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (राज्य विपणन विकास निधि) नियम, 2000 में निम्नानुसार संशोधन करना प्रस्तावित है तथा उन समस्त व्यक्तियों की जिनसे कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिये उक्त अधिनियम की धारा 79 की उपधारा (1) के अनुसार प्रारूप प्रकाशित किया जाता है, और एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि सूचना का "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस की कालावधि का अवसान होने पर या उसके पश्चात् उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा।

### संशोधन का प्रारूप

राज्य सरकार एतद् द्वारा मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (राज्य विपणन विकास निधि) नियम, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

उक्त नियमों :-

- (1) नियम 2 में खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नानुसार खण्ड पुर्नस्थापित किया जावे, अर्थात्,—
- (ग) "किसान सडक निधि" से अभिप्रेत है कि मध्यप्रदेश ग्रामीण सडक विकास प्राधिकारण द्वारा ग्रामीण सडकों के निर्माण एवं रखरखाव, मण्डी क्षेत्र की मूलभूत संरचनाओं, सडकों तथा मण्डी, उपमण्डी प्रांगण की आधारभूत अधोसंरचनाओं के निर्माण एवं उन्नयन, मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना गौ संरक्षण एवं सबर्धन के लिये तथा नवीनतम तकनीको का किसानो के मध्य प्रचार-प्रसार किये जाने तथा किसान सम्मेलन आयोजित किये जाने के लिये संग्रहित रकम।
- (2) नियम 6 में उपनियम (2) के खण्ड 2(क) में निम्नानुसार संशोधन प्रतिस्थापित किया जावे अर्थात् , पश्चात्

### 6(2) किसान सडक निधि का उपयोग :-

- 2(क) में "58.50 पैसे (अठ्ठावन दशमलव पचास पैसे)" के स्थान पर "50.00 पैसे (पचास पैसे)" प्रतिस्थापित किये जावे।
  - (3) नियम 6 में उपनियम (2) के खण्ड 2(क) के पश्चात् निम्नानुसार खण्ड 2(क)(1) एवं खण्ड 2(क)(2) को प्रतिस्थापित किया जावे अर्थात् ,
- 2(क)(1) में नियम-4 खण्ड (क) अनुसार, नियम-6(1) में उल्लेखित खाते में मण्डी समिति द्वारा जमा की गई राशि अर्थात् 85.00 पैसे में से "5.00 पैसे (पांच पैसे)" के मान से राशि "गौ संवर्द्धन तथा संरक्षण निधि" में समय समय पर अंतरित किये जावेगे।

2(क)(2) में नियम-4 खण्ड (क) अनुसार, नियम-6(1) में उल्लेखित खाते में मण्डी समिति द्वारा जमा की गई राशि अर्थात् 85.00 पैसे में से "3.50 पैसे (तीन दशमलव पचास पैसे)" राशि "नवीनतम तकनीकों का किसानों के मध्य प्रचार-प्रसार किये जाने तथा किसान सम्मेलन आयोजित किये जाने हेतु" उपलब्ध कराई जावेगी। इस राशि का उपयोग प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त कर किया जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल 2018

क डी-15-27/18/14-3 भारत के संविधान अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27.04.2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

Bhopal, dated 27th April 2018

No. D-15-27-2018-XIV-3 - The following draft of amendments in the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi (State Marketing Development Fund) Rules, 2000, which the State Government propose to make in exercise of powers conferred by clause (xxi) of sub-section (2) of Section 79 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), is hereby published as required by sub-section (1) of Section 79, for information of all persons likely to be affected thereby and Notice is hereby given that the said draft of amendments will be taken into consideration till the expiry of thirty days from the date of publication of this Notice in the "Madhya Pradesh Gazette".

#### DRAFT OF AMENDMENT

State Government, hereby, publish the amendments in the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi (State Marketing Development Fund) Rules, 2000 ;

In the said rules-

(1) For clause (c) of rule (2), the following clause shall be substituted, namely:-

"(c) "Farmers Road Fund" means the amount collected for rural roads build and maintained by Madhya Pradesh Rural Road Development Authority, for essential infrastructural facilities in the Mandi area, for constructions and augmentation of roads and essential infrastructural facilities in the Mandi and sub-mandi yards, for Chief Minister's Farmer Life Welfare Scheme, Fund, for Gau Samvardhanand Sanrakshan Yojana, for publicity and promoting of modern technologies amongst farmers and for organizing Kisan Sammelan."

(2) In Rule 6, sub rule 2 (a) in place of " 58.50 paisa (Fifty-eight and a half paisa),

the following ;

" 50.00 paisa (fifty paisa), shall be substituted.

(3) In Rule 6, after sub rule 2 (a) following sub-rule 2(a) (1) and Sub-rule 2(a)(2) shall be inserted, namely;

" **2(a)(1)** : As per Rule 4 section (a), the money deposited i.e. 85 paisa (eighty five paisa) by the mandi committees in the account as detailed in Rule 6(1), an amount at the rate of 5.00 paisa (Five paisa) shall be released from time to time to "Gau ke Samvardhan evam Sanrakshan Nidhi ".

" **2(a)(2)** : As per Rule 4 section (a), the money deposited i.e. 85 paisa (eighty five paisa) by the mandi committees in the account as detailed in Rule 6(1), an amount at the rate of 3.50 paisa (Three and a half paisa) shall be released for " Publicity and promoting of modern technologies amongst farmers and for organizing Kisan Sammelan". The funds for the said purpose shall be used as per the administrative approval.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
B. S. DHURVE, Dy. Secy.